

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/344

दिनांक : 24/6/14

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 30.06.2014 से 29.07.2014 तक III<sup>rd</sup> Batch of Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1	डा० राजेश कुमार शर्मा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र चौप, आमेर (जयपुर-प्रथम)
2	डा० गुरुचरण कुडी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रानोली (टोंक)
3	डा० युसूफ खान	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र तुंगा (जयपुर-द्वितीय)
4	डा० ज्योति रानी शर्मा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र दूदू (जयपुर)
5	डा० कुलदीप	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र नयारा (अजमेर)
6	डा० ब्रह्मजीत	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कारोली (अलवर)
7	डा० प्रवीण प्रजापत	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र नापासर (बीकानेर)
8	डा० बालकृष्ण जैन	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र काच्छोला (भीलवाडा)
9	डा० सुनील कुमार शर्मा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कोट (भीलवाडा)
10	डा० सचिन कुमार गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र नानेरा (भरतपुर)
11	डा० वैष्णव गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सोनाड (दौसा)
12	डा० राकेश बिरानिया	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र लवाण (दौसा)
13	डा० रामस्वरूप शर्मा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र बसेडी (धौलपुर)
14	डा० मनीष राजपुरोहित	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र खेतोलाई (जैसलमेर)
15	डा० जितेन्द्र सिंह विश्णोई	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र चामू (जोधपुर)
16	डा० राजेन्द्र सिंह सैनी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र राडावास (जयपुर)
17	डा० मनमोहन	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र तुंगा (जयपुर-द्वितीय)
18	डा० दुर्गालाल यादव	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र सामोद (जयपुर)
19	डा० कुलदीप सिंह	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र गुराडियाजोगा (झालावाड)
20	डा० अमित सोनी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सुराना (जालौर)
21	डा० हरलाल सिंह	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रवासा (सीकर)
22	डा० मनोज कुमार नागर	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बाबरा (पाली)
23	डा० जसविन्दर कुमार	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र भीमाना (पाली)
24	डा० पंकज माथुर	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र अलपा (सिरोही)
25	डा० सुकान्त अग्रवाल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र चिनार (सिरोही)
26	डा० जयेन्द्र देशवार	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र पिलादा (सवाईमाधोपुर)
27	डा० मोहम्मद अफजल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र मीना बडोदा (सवाईमाधोपुर)
28	डा० धमेन्द्र कुमार सैनी	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र रीडमलसर (श्रीगंगानगर)
29	डा० जयवीर सिंह	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र कुकनवाली (नागौर)
30	डा० सुनील कुमार	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कालरी (चूरु)

क.प.उ.



राजस्थान जयपुर।  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

9. आदेश/रहित पत्रावली।
8. प्रमोदी, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर उलवाने की व्यवस्था करावे।
7. संबंधित चिकित्सकों द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. दरदशन के पास, जयपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यसूचक करें।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों का प्रशिक्षण में दिनांक 30.06.14 को प्रातः 09.30 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, /भरतपुर/जयपुर/अजमेर/उदयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जैन-जयपुर/बीकानेर/कोटा प्रस्तावित की जा सकें।
3. संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को सूचना भिजवावे, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही होने हेतु कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने दरदशन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 2807-08 दिनांक 09.06.14 के क्रम में भेजकर संबंधित मुख्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
2. निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 24/6/14

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/344

राजस्थान जयपुर।  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

यात्रा भत्ता देय नहीं है।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का

उहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

उहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।  
 ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिये अन्य (पारिवारिक सदस्य/सिने) किस्सी को भी वहां जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु चिकित्सक को मनीषीत करेगा निम्न पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया ही साथ ही प्रशिक्षण में मनीषीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त वेतन से बर्खास्त की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, एम.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके अन्तर्गत शीमान प्रमुख सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)दिनांक(पीएल-2)/आर.एच. दिनांक 30.06.14 को प्रातः 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में भाग लेने हेतु